न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही राजस्थान

बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड ,आर.ए.एस

न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत रा.लो.अ. केम्प अटल सेवा केन्द्र मोहब्बतनगर

रा.प्रा.पत्र संख्या 4/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
ताराचंद पुत्र सोनाजी जाति पुरोहित आयु 60 वर्ष निवासी मोहब्बतनगर तहसील व जिला सिरोही उपस्थित :–		1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिरोही 2– तेजाराम पुत्र नताजी 3– गणेशराम पुत्र नताजी सभी जाति कुम्हार निवासी मोहब्बतनगर तह.व जि.सिरोही

उपस्थित :–

1– प्रार्थी स्वंय श्री ताराचंद पुरोहित

2– अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार, सिरोही

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.अभिधृति अधि. वास्ते खातेदारी कृषि मे जाने हेतु मे वैकल्पिक रास्ता देने

निर्णय दिनांक 28–5–2018

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राजस्थान अभिधृति अधि. के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार, सिरोही का वास्ते खातेदारी कृषि भूमि जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 12–1–2018 को पेश किया जिसका संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा ग्राम मोहब्बतनगर पटवार हल्का मोहब्बतनगर तहसील सिरोही जिला सिरोही मे खसरा नंबर 2431 रकबा 2.9500 हेक्टेयर आई हुई है। प्रार्थी के खातेदारी की उक्त कृषि अआराजी के लगते पूर्व दिशा की तरफ अपप्रार्थी संख्या 2, व 3 की खातेदारी की आराजी आई हुई है जिसके खसरा नंबर 2433 रकबा 0.8700 हेक्टेयर कृषि आराजी स्थित है उक्त कृषि आराजी के लोर के किनारे से होते हुये प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी मे कदीम से आवागमन करता आ रहा है एवं खसरा संख्या 2433 के लगते मुख्य रोड मोहब्बतनगर चडुआल रोड आया हुआ है उक्त मुख्य रोड से प्रार्थी व अप्रार्थी के खसरा संख्या के लोर के किनारे मे अपनी कृषि भूमि मे प्रवेश करता है लेकिन नक्शे मे रास्ता ततरमीम नही होने से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बाधा रूकावट कारित करते रहते है जिससे हर समय झगडा होने की आंशका बनी रहती है। प्रार्थी के खातेदारी की कृषि आराजी मे आवागमन हेतु मोहब्बतनगर चडुआल डामर सडक मुख्य सडक से लगते खसरा संख्या 2433 अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी आराजी मेसे होते हुये प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि आराजी मे आवागमन कदीम से करता आ रहा है जो नजरी नक्शे मे मार्क "ए""बी""सी""डी" लाल रंग से दर्शाया गया है उक्त रास्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी कृषि आराजी मेसे प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि मे आवागमन हेतु रास्ता नक्शे मे अंकित अनुरूप 30 फीट चौडाई मे रास्ता दिया जाकर राजस्व नक्शे मे तरमीम किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि मे अआवागमन कर सकें एवं बैलगाडी, ट्रेक्टर, आदि आ जा सकें व प्रार्थी को अपनी खेती कार्य से मेहरूम होना नही पडे एवं न ही कोई झगडा फसाद, बाधा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 कर सकें ।

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page No2

प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि आराजी संख्या 2431 मे आवागमन व ट्रेक्टर-बैलगाडी ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की कृषि आराजी खसरा संख्या 2433 के लोर के किनारे 30 फीट चौडाई मे रास्ता दिया जाना आवश्यक है. इसके अलावा कोई विकल्प नही है और उस अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने बाबत अप्रार्थी संख्या एक को आदेशित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को उसकी आराजी के ख़सरा नंबर 2431 मे आवागमन हेतु एवं कृषि कार्य हेतु बैलगाडी-ट्रेक्टर व कृषि कार्य का सामान आदि आ जा सकें इस हेतु अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के खातेदारी की कृषि आराजी के खसरा नंबर 2433 मे ही लोर मेसे लोर के किनारे संलग्न नजरी नक्शे मे जो लाल रंग मे अंकित किया है उक्त रास्ता 30 फीट चौडाई मे दिलाये जाने बाबत एवं उस अनुसार राजस्व रेकर्ड व नक्शे मे तरमीम करने बाबत आदेश पारित करना फरमावें

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता नंबर 277 खसरा नंबर 2431 रकबा 2.9500 हेक्टेयर किस्म बारानी 3 व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खाततेदारी कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता नंबर 295 खसरा नंबर 2433 रकबा 0.8700 हेक्टेयर किस्म बारानी 2 व नजरी नक्शा प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो न्यायालय प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 12–1–2018 को दर्ज रजिस्टर कर अप्राथीगण को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये जिस पर इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 13–3–2018 को नोटिस तामिल होकर प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 13–3–2018 को न्यायालय मे सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री नगेन्द्रकुमार मेडतियॉ ने वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया तथा वकील अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु न्यायहित मे अवसर देते हुये प्रकरण मे आगामी पेशी दिनांक 6–4–2018 को वास्ते जवाब हेतु न्यायालय मे पत्रावली रखी गई।तथा विचारण प्रकरण मे पुनः वास्ते जवाब हेतु आगामी पेशी 8–5–2018 को रखी गई । दिनांक 28–5–2018 को विचारण प्रकरण मे वास्ते जवाब अप्रार्थीगण हेतु न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र मोहब्बतनगर मे रखी गई ।

आज दिनांक 28–5–2018 को विचारण प्रकरण की यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचारराधीन राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र मोहब्बतनगर मे पेश हुई । प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को जारी नोटिस तामिल/अदम तामिल प्राप्त नही हुये है। तथा विचारण प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व उनके वकील एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 सूचना के बावजूद हाजिर नही है। पत्रावली देखने पर ध्यान मे आया कि वकील अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु न्यायालय द्वारा बार बार न्यायहित मे अवसर प्रदान करने के बावजूद आज दिन तक अप्रार्थीगण संख्या 2व 3 की ओर से जवाब पेश नही करने से आगे समय दिया जाना न्यायोचित नही होने से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का जवाब बंद करने का आदेश दिया गया सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट की ओर से तहसीलदार-सिरोही ने जवाब आज पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया ।

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page No 3

तहसीलदार⁄सिरोही ने अपने उक्त जवाब मे कथन किया कि प्रार्थी ताराचंद के खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2431 के पूर्व मे प्रतिवादी के खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2433 तेजाराम गणेश पि. नता कुम्हार निवासी मोहब्बतनगर के खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थी के खातेदारी भूमि और रेकार्डेड रास्ते के मध्य अप्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2433 रेकार्ड मे दर्ज है। अप्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2433 रकबा 0.8700 हेक्टेयर रेकार्ड मे दर्ज है मौके पर अप्रार्थीगण के खातेदारी कृषि भूमि मेसे वर्तमान मे किसी प्रकार का रास्ता चालू नही है। प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2431 के किसी प्रकार का रेकार्डेड रास्ता नही लगता है। प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 2433 मेसे रास्ते की मांग करने से रेकार्ड अनुसार रेकार्डेड रास्ते से लम्बाई 72 मीटर व चौडाई 4 मीटर यानि कुल 288 वर्गमीटर या 0.0288 हेक्टेयर भूमि रास्ते के रूप मे खातेदार तेजाराम⁄गणेश पि. नता कुम्हार के खातेदारी भूमि मेसे रकबा कम होगा। रास्ते के रूप मे कुल 0.0288 हेक्टेयर भूमि काम आयेगी जो नक्शा मे लाल रंग से दर्शाया गया है यानि खसरा नंबर 2433 के उतरी लोर के पास पास नक्शा मे दर्शाया गया है।

विचारण प्रकरण मे प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251—क⁄राज.काश्त.अधि. पर अप्रार्थी संख्या 01 स्टेट की ओर से तहसीलदार⁄सिरोही की एक पक्षीय अंतिम बहस सुनकर उस पर गंभीरता से मनन किया तथा विचारण प्रकरण की पत्रावली के संलग्न प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता नंबर 277 खसरा नंबर 2431 रकबा 2.9500 हेक्टेयर किस्म बारानी 3 व अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के खाततेदारी कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता नंबर 295 खसरा नंबर 2433 रकबा 0.8700 हेक्टेयर किस्म बारानी 2 व नजरी नक्शा प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया

सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के अनुसार प्रार्थी ने अपने खातेदारी भूमि मेसे होकर विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले मे पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया है। अतः अप्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि मेसे होकर रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिये आत्यांतिक आवश्यकता होने से प्रार्थीगण द्वारा मांगी गई जगह से रास्ता दिया जाने के स्थान पर तहसीलदार⁄सिरोही द्वारा प्रस्तावानुसार जगह से रास्ता दिया जाकर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251—क आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है ।

अतः मौजा मोहब्बतनगर पटवार हल्का मोहब्बतनगर तहसील सिरोही जिला सिरोही के अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के खाततेदारी कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता नंबर 295 खसरा नंबर 2433 रकबा 0.8700 हेक्टेयर किस्म बारानी 2 संयुक्त खातेदार अप्राथीगण तेजाराम गणेश पि.नता कुम्हार सा.देह खातेदार के उक्त खातेदारी भूमि मेसे के नक्शा मे लाल रंग से दर्शित प्रस्तावित रास्ते की भूमि लंबाई 72 मीटर व चौडाई 4 मीटर यानि कुल 288 वर्गमीटर या 0.0288 हैक्टेयर भूमि रास्ते के रूप मे को सार्वजनिक रास्ते के लिये स्वीकृत की जाती है तथा नियमानुसार प्रतिकर की राशि प्राथी द्वारा खजाने राज जमा कराना होगा । उक्त रास्ते की स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार⁄सिरोही को आदेश दिये जाते है।

Continue Page No4

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरों या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले मे राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वाराअवधारित दरों का दुगुना और

(ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन अवधारित भूमि के मुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष फसल या संरचनला को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी

प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते की भूमि की किमत अवधारित की जाकर तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने व रास्ते के लिये प्रस्तावित कृषि भूमि के उक्त अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 संयुक्त खातेदारान को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान करने पर तहसीलदार सिरोही को अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 खातेदारी मेसे प्रस्तावित रास्ते की भूमि कम की गई आराजी को राजस्व रेकर्ड मे किस्म गैर मुमकिन रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 28–5–2018 को न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र मोहब्बतनगर मे सुनााया गया । पत्रावली फैसल शमार होकर नंबर से कम हो ।

28/5/18
(नाथूसिंह राठौड़)
सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.) सिरोही
सिरोही (राज०)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 28–5–2018 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय को गोल मुहर से जारी किया गया ।

28/5/18
सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.) सिरोही
सिरोही (राज०)